वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से
डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 47] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 18 नवम्बर, 2016-कार्तिक 27, शके 1938

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा पूर्व नाम फकरसिह नर्गेश था तथा उसके स्थान पर वर्तमान में मुझे ललीत नर्गेश के नाम से जाना जावे.

पुराना नाम :

(फकरसिह नर्गेश)

नया नाम :

(ललीत नर्गेश)
पिता गुलाबसिह नर्गेश,
ग्राम उदियापुर, तहसील मनावर,
जिला धार, 454446 (म.प्र.).

(475-बी.)

नाम परिवर्तन

मैं, पिंकेश गुप्ता सर्व-साधारण को सूचित करता हूँ कि मेरी पुत्री मुस्कान गुप्ता, निवासी-29, श्रीनाथ स्ट्रीट कॉलोनी, छोटा बांगड़दा, इन्दौर (म.प्र.) का नाम बदलकर याज्ञिका गुप्ता रख दिया गया है एवं उसे भविष्य में इसी नाम से जाना जाये.

पिंकेश गुप्ता

(476-बी.)

उप-नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है मेरी पुत्री का पूर्व नाम जसमेहर कौर बड़वाल जो परिवर्तित होकर जसमेहर कौर औबेरॉय हो गया है. अतः अब भविष्य में इसे इसी नाम से जाना-पहचाना जाए.

गगनप्रीत कौर औबेरॉय (माता)
202 बी, 132/2 सतगुरू हाइटस,
मनीषपुरी, इन्दौर, (मध्यप्रदेश).

(477-बी.)

CHANGE OF NAME

I, Rajeshwari Modh W/o Shri Nitin Kumar Modh, R/o Plot No.70, Sector-A, Indrapuri, Bhopal M.P., have changed my name from Padoor Natrajan Rajeshwari to Rajeshwari Modh.

Old Name:
(PADOOR NATRAJAN RAJESHWARI)

New Name :
(RAJESHWARI MODH)
W/o Shri Nitin Kumar Modh.

(478-B.)

सार्वजनिक सूचना

हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार की पुत्री कुमारी श्रुति मिश्रा की केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड दिल्ली से जारी अंक सूचियों में पिता के नाम के स्थान पर मेरे पक्षकार का नाम "मध्य नाम" के बिना मात्र संतोष मिश्रा (Santosh Mishra) उल्लेखित कर दिया गया है, जबकि मेरे पक्षकार का वास्तविक नाम संतोष कुमार मिश्रा ((Santosh Kumar Mishra)) है, जिसकी त्रुटि सुधार हेतु वर्तमान प्रकाशन किया गया है.

प्रकाशनकर्ता-
मनीष एम. मनाना,
(हायकोर्ट एडव्होकेट)
कार्यालय: 74, श्री कन्हैयालाल जी मनाना मार्ग,
सराफा, उज्जैन.

(479-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मुझ शपथकर्ता की एल. आई. सी. पॉलिसी नं. 202486066 में मेरा घर का नाम विजय ओझा अंकित करा दिया है. जबकि मेरे समस्त दस्तावेजों, बैंक खाते, आधार कार्ड में गिरजाशंकर ओझा अंकित है. उक्त दोनों नाम मेरे ही हैं. अत: भविष्य में मुझे मेरे नाम गिरजाशंकर ओझा के नाम से जाना जावे.

पुराना नाम :
(विजय ओझा)

नया नाम :
(गिरजाशंकर ओझा)
तारागंज, काला सैयद, लाला कुंअर का पुरा,
लश्कर, ग्वालियर, (म.प्र.).

(480-बी.)

नाम परिवर्तन

मैं, सुधा चंडी द्विवेदी (Sudha Chandi Dvivedi) पुत्री डॉ. हरिहरनिवास द्विवेदी एवं पत्नी डॉ. कृष्णगोपाल शर्मा, निवासी 'समर्पण', 101, आकृति फेस 2, 795-796 कैलाश विहार, सिटी सेंटर, ग्वालियर, मध्यप्रदेश. एतद्द्वारा घोषित करती हूँ कि मैंने अपना नाम परिवर्तित कर सुधा शर्मा (Sudhha Sharrma) कर लिया है तथा भविष्य में मुझे सुधा शर्मा नाम से जाना जाएगा.

पुराना नाम :
(सुधा चंडी द्विवेदी)

नया नाम :
(सुधा शर्मा)

(481-बी.)

नाम परिवर्तन

मैं, ऐग्नेस चंडविक्रमा जेकब (Agnes Chandavikrama Jacob) पुत्री स्व. श्री सैमुअल जेकब, निवासी 'समर्पण' 101, आकृति फेस 2, 795-796 कैलाश विहार, सिटी सेंटर, ग्वालियर, मध्यप्रदेश. एतद्द्वारा घोषित करती हूँ कि मैंने अपना नाम परिवर्तित कर ऐग्नेस जेकब (Ayygnes Jacob) कर लिया है तथा भविष्य में मुझे ऐग्नेस जेकब नाम से जाना जाएगा.

पुराना नाम :
(ऐग्नेस चंडविक्रमा जेकब)

नया नाम :
(ऐग्नेस जेकब)

(482-बी.)

उप-नाम परिवर्तन

मैं, मोनिका कौर सिंह (Monika Kaur Singh) पत्नी श्री गुरमोहन सिंह एवं पुत्री श्री महेश चंद अरनेजा, निवासी-20, दिवाकर एन्क्लेव, पटेल नगर, सिटी सेंटर, ग्वालियर, मध्यप्रदेश. एतद्द्वारा घोषित करती हूँ कि विवाह के पूर्व मेरा नाम मोनिका अरनेजा था और अब विवाह के पश्चात् मुझे मोनिका कौर सिंह नाम से जाना एवं पहचाना जाता है.

पुराना नाम :

(मोनिका अरनेजा)

एल. आई. जी. 1186, न्यू दर्पण कॉलोनी,
थाटीपुर, ग्वालियर.

नया नाम :

(मोनिका कौर सिंह)

20, दिवाकर एन्क्लेव, पटेल नगर,
सिटी सेंटर, ग्वालियर.

(483-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार लक्ष्मण सिंह परमार पुत्र स्व. श्री फूल सिंह परमार, निवासी शर्मा गली गोपालपुरा, मुरैना शासकीय ठेकेदार है जो शासकीय एवं अर्द्ध शासकीय एवं प्राईवेट लोगों के भवन निर्माण एवं सड़क निर्माण आदि का ठेकेदार का व्यवसाय करते हैं. जिनकी फर्म मेसर्स लक्ष्मण सिंह परमार के नाम से रजिस्टर्ड है. जिसका रजिस्ट्रेशन क्रमांक 02/44/01/00021/08, 24-05-2008 को रजिस्टर्ड हुई है. उक्त फर्म के पार्टनर लक्ष्मण सिंह परमार, श्रीमती रामरानी परमार, जनक सिंह परमार एवं पूरन सिंह परमार हैं परन्तु जनक सिह परमार की मृत्यु दिनांक 07-08-2013 को हो गई है. उक्त कारण से जनक सिंह परमार के स्थान पर नवीन पार्टनर करमवीर सिंह परमार पुत्र लक्ष्मण सिंह परमार को शामिल किया जा रहा है. शेष पार्टनर को कोई आपत्ति नहीं है. उक्त नवीन पार्टनर के बनाये जाने में कोई आपत्ति हो, तो सम्पर्क करें अन्यथा 7 दिवस के पश्चात् आपत्ति अमान्य होगी.

फर्म मेसर्स लक्ष्मण सिंह परमार द्वारा,
दिनेश किशोर भटनागर,
(एडवोकेट)
पापा वाली गली बालनिकेतन रोड,
गोपालपुरा, मुरैना.

(484-बी.)

सार्वजनिक सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म मैसर्स पार्श्व एसोसियेट्स, पंजीयन क्रमांक 01/01/01/00316/11, सन् 2011-12, दिनांक 15-12-2011 के चार भागीदार श्रीमती प्रीति जैन पत्नि श्री संजय जैन, संजय जैन पुत्र श्री निर्मल जैन, किशोर छाबड़िया पुत्र स्व. श्री के. डी. छाबड़िया, पंकज सिंह चौहान पुत्र श्री संतोष सिंह चौहान फर्म के हितों एवं फर्म के व्यवसाय के प्रतिकूल क्रियाकलाप किये जाने के कारण दिनांक 02-09-2016 को श्री पंकज सिंह चौहान पुत्र श्री संतोष सिंह चौहान को फर्म मैसर्स पार्श्व एसोसियेट्स की भागीदारी से निष्कासित कर दिया गया है. अब उनका फर्म से उनका कोई संबंध नहीं है. अत: कोई भी व्यक्ति या संस्था श्री पंकज सिंह चौहान से फर्म मैसर्स पार्श्व एसोसियेट्स के लिये या फर्म के संबंध में किसी भी प्रकार का कोई लेन-देन या संव्यवहार न करें. धन्यवाद.

मैसर्स पार्श्व एसोसियेट्स द्वारा
प्रीति जैन,
संजय जैन,
किशोर छाबड़िया,
(भागीदारगण).

(485-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स स्वाधीनता सैनानी गैस सेवा, 19, कृषि उपजमंडी, मनमोहन नगर, जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 408/95-96, दिनांक 19 दिसम्बर, 1995 को पंजीयन है, जिसमें चार भागीदार क्रमश: 1. हरिप्रसाद शुक्ला पिता स्व. श्री मथुरा प्रसाद शुक्ला, 2. रतनचंद जैन पिता स्व. श्री बट्टीलाल जैन, 3. विश्वनाथ करैया पिता स्व. श्री नन्हेलाल करैया, 4. दाल चंद जैन पिता स्व. श्री भुलईलाल जैन हैं. उक्त भागीदारों में से भागीदारी क्र. 3. विश्वनाथ करैया की मृत्यु दिनांक 29-03-1999 को क्र. 2. रतनचंद जैन की मृत्यु दिनांक 17-11-1999 को क्र. 4. दाल चंद जैन की मृत्यु दिनांक 28-10-2005 को तथा क्र.1. हरिप्रसाद शुक्ला की मृत्यु दिनांक 16-03-2006 को हो गई है. उक्त फर्म में दिनांक 20-03-1999 को श्री यतीन्द्र मोहन करैया पिता स्व. श्री विश्वनाथ करैया, दिनांक 27-11-1999 को

श्री राजेश कुमार भारिल्य पिता श्री रतीचंद जैन, दिनांक 28-10-2005 को श्री आशीष जैन पिता स्व. श्री विमलचंद जैन तथा दिनांक 16-03-2006 को श्री सौरभ शुक्ला पिता श्री सुरेन्द्र कुमार शुक्ला को उपरोक्त भागीदारों की मृत्यु के उपरांत फर्म में भागीदारों की हैसियत से सम्मिलित किया गया. वर्तमान में फर्म का पता-19 कृषि उपज मंडी, मनमोहन नगर, जबलपुर है, जिसे परिवर्तित कर स्थायी पता एम-56, एम. आर.-4 रोड, विजय नगर, जबलपुर मध्यप्रदेश 482002 किया गया है. यदि किसी को भी आपत्ति हो, तो 7 दिवस के अंदर फर्म कार्यालय में सम्पर्क करें.

राजेश भारिल्य,
स्वाधीनता सैनानी गैस सेवा जबलपुर.

(486-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स बैजनाथ प्रसाद जायसवाल फर्म पार्टनरशिप फर्म के रूप में स. पंजीयन कार्यालय फर्म्स एवं संस्थाएं, इन्दौर में पंजीकृत है एवं दिनांक 16-09-2016 को श्री रामनारायण जायसवाल पिता स्वर्गीय श्री बैजनाथ प्रसाद जायसवाल, निवासी-ई-3020, सुदामा नगर, इन्दौर ने फर्म से भागीदार के रूप में त्याग-पत्र दिया होकर फर्म से पृथक् हो गए हैं साथ ही श्रीमती रंजना जायसवाल पति श्री कैलाश जायसवाल, निवासी ई 3015, सुदामा नगर, इन्दौर ने दिनांक 16/09/2016 को फर्म में पार्टनर बनी है. इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अंतर्गत पालनार्थ सर्व-सूचना है.

द्वारा: मेसर्स बैजनाथ प्रसाद जायसवाल,
कैलाश जायसवाल,
(पार्टनर).

(487-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म मै. अनिल कंस्ट्रक्शन कम्पनी कृष्णपुरम कॉलोनी, शिवपुरी (म.प्र.). मध्यप्रदेश फर्म व सोसायटी ग्वालियर में क्र. ए./आर.जी./फर्म 47/2004-05 से दिनांक 28-09-2004 से पंजीयत है फर्म में भागीदारों की संख्या पूर्व में चार थी परंतु उसमें स्वेच्छा से दिनांक 01-04-2008 को दो नवीन साझेदार 1. श्री पवन जैन पुत्र श्री प्रकाश चंद जैन, निवासी जैन सदन कृष्णपुरम कॉलोनी, शिवपुरी (म.प्र.) एवं 2. श्रीमती स्वीटी जैन पत्नि श्री सुनील कुमार जैन, निवासी जैन सदन कृष्णपुरम कॉलोनी, शिवपुरी (म.प्र.) सम्मिलित हुए जिससे फर्म में साझेदारों की संख्या छः हो गई, परन्तु दिनांक 01-02-2014 को पूर्व में सम्मिलित साझेदार अनलि जैन पुत्र श्री भागचंद जैन, निवासी जीवाजीगंज, मुरैना मध्यप्रदेश स्वेच्छा से फर्म से अलग हो गए हैं. इस कारणवश फर्म में दिनांक 01-02-2014 से साझेदारों की संख्या पांच रहेगी इसमें किसी भी व्यक्ति या संस्था को किसी प्रकार की आपत्ति हो, तो वह स्पीड पोस्ट या स्वयं के माध्यम से फर्म के ऑफिस कार्यालय में 7 दिवस के अंदर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं.

मै. अनिल कंस्ट्रक्शन कम्पनी,
पवन जैन,
कृष्णपुरम कॉलोनी, शिवपुरी (म.प्र.).

(488-बी.)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मे. वैद्य कंस्ट्रक्शन कम्पनी के भागीदार श्रीमती सपना वैद्य पति संदीप कुमार वैद्य एवं श्रीमती कंचन वैद्य पति प्रेमचंद वैद्य द्वारा भागीदारी का व्यवसाय पता केसर प्लाजा कॉम्पलेक्स, सी. एच. रोड, बालाघाट में संचालित किया जाता रहा था, सदर भागीदारी फर्म का दिनांक 15-02-2016 को विधिवत रूप से दोनों भागीदारों की सहमति से विघटन हो चुका है, अब किसी तरह से फर्म द्वारा किसी भी प्रकार की व्यवसायिक गतिविधि संचालित नहीं की जाती है, भागीदारी फर्म बाबद किसी व्यक्ति, संस्था आदि का लेन-देन शेष नहीं है, विदित होवे.

फर्म-वैद्य कंस्ट्रक्शन कम्पनी
सपना वैद्य,
(भागीदार).
बालाघाट.

(489-बी.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास, कुक्षी, जिला धार

प्रकरण क्रमांक/01/बी-113(1)/2014-15.

फार्म-4

[नियम-5(1)देखिए]

[मध्यप्रदेश न्यास अधिनियम, 1951 (तीसवां) की धारा-5 (2) और नियम-5 (1) मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1953]

श्री रणजीत सेवा संस्थान/समिति, पाढल्या घाटी बाग, तहसील कुक्षी, जिला धार एवं अन्य सदस्य ने मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1959 की धारा-4 के अंतर्गत अनुसूची में उल्लेखित सार्वजनिक न्यास पंजीयन के सम्बन्ध में आवेदन प्रस्तुत किया है. जन साधारण को सूचना दी जाती है कि उक्त आवेदन-पत्र पर मेरे न्यायालय में दिनांक 14 दिसम्बर, 2016 को विचार किया जावेगा.

2. अतः एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रति में लिखित कथन प्रस्तुत करना और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिगत या अभिभाषक अथवा अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिये ग्रहण नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

1. न्यास का नाम व पता	:	श्री रणजीत सेवा संस्थान/समिति पाडल्या घाटी बाग, तहसील कुक्षी, जिला धार.
2. अचल सम्पत्ति	:	निरंक.

(779)

कुक्षी, दिनांक 24 अक्टूबर, 2016

फार्म-4

[नियम-5(1)देखिए]

[मध्यप्रदेश न्यास अधिनियम, 1951 (तीसवां) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम-1962 के नियम-5 (1) के द्वारा]

जामिया उम्मुल कुर्रा ट्रस्ट बाग, तहसील कुक्षी, जिला धार ने मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1959 की धारा-35 के अंतर्गत अनुसूची में उल्लेखित पंजीकृत सार्वजनिक न्यास के ट्रस्टियों के नाम बदलने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है जिनकी सुनवाई इस न्यायालय में दिनांक 14 दिसम्बर, 2016 को प्रातः 11 बजे की जावेगी.

2. अतः एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त पंजीकृत न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रति में लिखित कथन प्रस्तुत करना और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिगत या अभिभाषक अथवा अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिये ग्रहण नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम, पता तथा सम्पत्ति का विवरण)

1. न्यास का नाम	:	जामिया उम्मुल कुर्रा ट्रस्ट बाग, तहसील कुक्षी, जिला धार.
2. अचल सम्पत्ति	:	बैंक ऑफ इंडिया, शाखा बाग के खाता क्रमांक 980110110005537 में रुपये 5100/- (पांच हजार एक सौ रुपये मात्र), दिनांक 01 जून, 2014 को जमा.

डी. एस. ठाकरे,
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

(779-A)

अन्य सूचनाएं

कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला देवास

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत]

उप/सहायक पंजीयक सहकारी समितियां, जिला देवास द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है :-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्र./दिनांक	परिसमापन क्रमांक व दिनांक
1.	माँ भवानी बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., नराना, जिला देवास	1542/29-01-2015	1503/05-10-2016

सहकारी अधिनियम की धारा-71 (1) के अंतर्गत परिसमापन दिनांक से संस्था की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्ठित हो गई हैं. अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों को इस सूचना-पत्र के जारी करने के दिनांक से 60 दिवस के अंदर मय प्रमाण के यदि कोई हो, तो लिखित रूप से मेरे कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं ए. बी. रोड, देवास में कार्यालयीन दिवसों से दोपहर 12.00 बजे से 2.00 बजे तक प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे. समयावधि उपरांत उनकी कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होंगी तथा संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध दायित्व स्वयमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यदि उक्त संस्था के अभिलेख या आस्तियां, डेड स्टॉक, संस्था का रिकार्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपे यदि बाद में ज्ञात होता हैं कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियों या अभिलेख एवं रिकार्ड, डेड स्टांक नहीं सौपे गये हैं तो संबंधित के विरुद्ध उनकी वसूलने हेतु विधिवत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी. जिसकी सम्पूर्ण जबावदारी संबंधित की रहेगी.

यदि उक्त संस्था के अभिलेख एवं आस्तियां समस्त प्रयासों के बाबजूद भी प्राप्त नहीं होती हैं तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे आपत्तियों का निराकरण गत वर्षों के वित्तिय पत्रकों में दर्शाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियां बोगस/शून्यकाल मानकर तदानुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 17 अक्टूबर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की गई है.

बी. एल. गोठवाल,
परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

(768)

कार्यालय उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला सीधी

सीधी, दिनांक 05 अक्टूबर, 2016

क्र./परि./2016/998.—निम्न पंजीकृत सहकारी संस्थाओं के संचालक मण्डल को संस्था के अकार्यशील होने, अंकेक्षण न कराने, संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न न कराने तथा अधिनियम, नियम एवं उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन न करने एवं अन्य कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत उनके नाम के सम्मुख पत्र क्र/दिनांक के द्वारा कारण बताओं सूचना-पत्र जारी किये गये हैं:—

क्र.	स्वायत्त सहकारिता का नाम	पंजीयन क्र./दिनांक	पंजीकृत नया नाम	पंजीयन क्र./दिनांक	परिसमापन नोटिस क्र./दिनांक
1	2	3	4	5	6
1.	जीवन बीमा कर्मचारी साख सहकारिता सीमित, सीधी.	01/08-12-2000	जीवन बीमा कर्मचारी साख सहकारी समिति मर्या., सीधी.	1379/18-05-2016	933/05-10-2016
2.	महिला स्वयं सुविधा साख सहकारिता सीमित, हिनौती.	02/02-07-2001	महिला स्वयं सुविधा साख सहकारी सीमित, मर्या., हिनौती.	1380/18-05-2016	934/05-10-2016
3.	शिव बीज उत्पादक स्वायत्त सहकारिता सीमित, देवघटा.	05/22-04-2010	शिव बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., देवघटा.	1381/18-05-2016	935/05-10-2016
4.	बीज उत्पादक स्वायत्त सहकारिता सीमित, सलैया.	06/13-05-2010	बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सलैया.	1382/18-05-2016	936/05-10-2016

1	2	3	4	5	6
5.	बीज उत्पादक स्वायत्त सहकारिता सीमित, गोपालपुर.	07/14-05-2010	बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., गोपालपुर.	1383/18-05-2016	937/05-10-2016
6.	बीज उत्पादक स्वायत्त सहकारिता सीमित, कुंआ.	08/25-05-2010	बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कुंआ.	1384/18-05-2016	938/05-10-2016
7.	बीज उत्पादक स्वायत्त सहकारिता सीमित, ममदर.	09/25-05-2010	बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., ममदर.	1385/18-05-2016	939/05-10-2016
8.	बीज उत्पादक स्वायत्त सहकारिता सीमित, मोहनिया.	10/25-05-2010	बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मोहनिया.	1386/18-05-2016	940/05-10-2016
9.	बीज उत्पादक स्वायत्त सहकारिता सीमित, छवारी.	12/26-05-2010	बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., छवारी.	1387/18-05-2016	941/05-10-2016
10.	बीज उत्पादक स्वायत्त सहकारिता सीमित, मिर्चवार.	13/26-05-2010	बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मिर्चवार.	1388/18-05-2016	942/05-10-2016
11.	बीज उत्पादक स्वायत्त सहकारिता सीमित, चंदैनिया.	14/01-06-2010	बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., चंदैनिया.	1389/18-05-2016	943/05-10-2016
12.	बीज उत्पादक स्वायत्त सहकारिता सीमित, भेलकी.	15/01-06-2010	बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., भेलकी.	1390/18-05-2016	944/05-10-2016
13.	बीज उत्पादक स्वायत्त सहकारिता सीमित, हरदिहा पवाइ.	16/01-06-2010	बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., हरदिहा पवाई.	1391/18-05-2016	945/05-10-2016
14.	बीज उत्पादक स्वायत्त सहकारिता सीमित, कुड़िया.	17/06-07-2010	बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कुड़िया.	1392/18-05-2016	946/05-10-2016
15.	बीज उत्पादक स्वायत्त सहकारिता सीमित, बूसी.	18/15-07-2010	बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बूसी.	1393/18-05-2016	947/05-10-2016
16.	बीज उत्पादक स्वायत्त सहकारिता सीमित, मल्देवा.	19/15-07-2010	बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मल्देवा.	1394/18-05-2016	948/05-10-2016
17.	बीज उत्पादक स्वायत्त सहकारिता सीमित, धुम्मा.	20/05-08-2010	बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., धुम्मा.	1395/18-05-2016	949/05-10-2016
18.	बीज उत्पादक स्वायत्त सहकारिता सीमित, सिहौलिया.	21/16-09-2010	बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सिहौलिया.	1396/18-05-2016	950/05-10-2016
19.	बीज उत्पादक स्वायत्त सहकारिता सीमित, गिजवार.	22/23-09-2010	बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., गिजवार.	1397/18-05-2016	951/05-10-2016
20.	बीज उत्पादक स्वायत्त सहकारिता सीमित, सिलवार.	23/23-09-2010	बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सिलवार.	1398/18-05-2016	952/05-10-2016
21.	बीज उत्पादक स्वायत्त सहकारिता सीमित, भदौरा.	24/21-10-2010	बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., भदौरा.	1399/18-05-2016	953/05-10-2016
22.	बीज उत्पादक स्वायत्त सहकारिता सीमित, कुसमहर.	25/26-11-2010	बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कुसमहर.	1400/18-05-2016	954/05-10-2016
23.	बीज उत्पादक स्वायत्त सहकारिता सीमित, दुअरा.	27/26-11-2010	बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., दुअरा.	1401/18-05-2016	955/05-10-2016
24.	बीज उत्पादक स्वायत्त सह. सीमित, सतनरा पवाई.	28/26-11-2010	बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सतनरा पवाई.	1402/18-05-2016	956/05-10-2016

1	2	3	4	5	6
25.	बीज उत्पादक स्वायत्त सहकारिता सीमित, पटेहरा.	29/26-11-2010	बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पटेहरा.	1403/18-05-2016	957/05-10-2016
26.	बीज उत्पादक स्वायत्त सहकारिता सीमित, मड़वा.	30/26-11-2010	बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मड़वा.	1404/18-05-2016	958/05-10-2016
27.	बीज उत्पादक स्वायत्त सहकारिता सीमित, सिरसी.	31/26-11-2010	बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सिरसी.	1405/18-05-2016	959/05-10-2016
28.	बीज उत्पादक स्वायत्त सहकारिता सीमित, चुवाही.	32/26-11-2010	बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., चुवाही.	1406/18-05-2016	960/05-10-2016
29.	बीज उत्पादक स्वायत्त सहकारिता सीमित, डिठौरा.	33/26-11-2010	बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., डिठौरा.	1407/18-05-2016	961/05-10-2016
30.	बीज उत्पादक स्वायत्त सहकारिता सीमित, धुंआडोल.	34/26-11-2010	बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., धुंआडोल.	1408/18-05-2016	962/05-10-2016
31.	बीज उत्पादक स्वायत्त सहकारिता सीमित, डढ़िया.	35/26-11-2010	बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., डढ़िया.	1409/18-05-2016	963/05-10-2016
32.	बीज उत्पादक स्वायत्त सहक़ारिता सीमित, बकवा.	36/26-11-2010	बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बकवा.	1410/18-05-2016	964/05-10-2016
33.	बीज उत्पादक स्वायत्त सहकारिता सीमित, छुहिया.	37/02-12-2010	बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., छुहिया.	1411/18-05-2016	965/05-10-2016
34.	बीज उत्पादक स्वायत्त सहकारिता सीमित, बरौं.	38/02-12-2010	बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बरौं.	1412/18-05-2016	966/05-10-2016
35.	बीज उत्पादक स्वायत्त सहकारिता सीमित, खमचौरा.	39/02-12-2010	बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., खमचौरा.	1413/18-05-2016	967/05-10-2016
36.	बीज उत्पादक स्वायत्त सहकारिता सीमित, विशुनी टोला.	40/02-12-2010	बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बिशुनी टोला.	1414/18-05-2016	968/05-10-2016
37.	बीज उत्पादक स्वायत्त सहकारिता सीमित, पनवार बघेलान.	41/02-12-2010	बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पनवार बघेलान.	1415/18-05-2016	969/05-10-2016
38.	बीज उत्पादक स्वायत्त सहकारिता सीमित, बरसेनी.	42/02-12-2010	बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बरसेनी.	1416/18-05-2016	970/05-10-2016
39.	बीज उत्पादक स्वायत्त सहकारिता सीमित, मझगवां.	43/02-12-2010	बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मझगवां.	1417/18-05-2016	971/05-10-2016
40.	बीज उत्पादक स्वायत्त सहकारिता सीमित, चोरगड़ी.	44/02-12-2010	बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., चोरगड़ी.	1418/18-05-2016	972/05-10-2016
41.	बीज उत्पादक स्वायत्त सहकारिता सीमित, सेमरी.	45/02-12-2010	बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सेमरी.	1419/18-05-2016	973/05-10-2016
42.	बीज उत्पादक स्वायत्त सहकारिता सीमित, झांझ.	46/02-12-2010	बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., झांझ.	1420/18-05-2016	974/05-10-2016
43.	बीज उत्पादक स्वायत्त सहकारिता सीमित, अमिलहा.	48/02-12-2010	बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., अमिलहा.	1421/18-05-2016	975/05-10-2016
44.	बीज उत्पादक स्वायत्त सहकारिता सीमित, मड़वा.	49/03-12-2010	बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मड़वा.	1422/18-05-2016	976/05-10-2016

1	2	3	4	5	6
45.	बीज उत्पादक स्वायत्त सहकारिता सीमित, परसिली.	50/03-12-2010	बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., परसिली.	1423/18-05-2016	977/05-10-2016
46.	बीज उत्पादक स्वायत्त सहकारिता सीमित, बहरी.	51/03-12-2010	बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बहरी.	1424/18-05-2016	978/05-10-2016
47.	सब्जी उत्पादन स्वायत्त सहकारिता सीमित, चोरगड़ी.	52/04-12-2010	सब्जी उत्पादन सहकारी समिति मर्या., चोरगड़ी.	1425/18-05-2016	979/05-10-2016
48.	साग-सब्जी उत्पादक स्वायत्त सहकारिता सीमित, देवार्थ नौढ़िया.	54/23-03-2011	साग-सब्जी उत्पादक सहकारी समिति मर्या., देवार्थ नौढ़िया.	1426/18-05-2016	980/05-10-2016
49.	साग-सब्जी उत्पादक स्वायत्त सहकारिता सीमित, रौहाल.	55/23-03-2011	साग-सब्जी उत्पादक सहकारी समिति मर्या., रौहाल.	1427/18-05-2016	981/05-10-2016
50.	कादम्बरी बीज उत्पादक स्वायत्त सह. सीमित, मनकीसर.	56/23-03-2011	कादम्बरी बीज उत्पादक सहकारी समिति, मनकीसर.	1428/18-05-2016	982/05-10-2016
51.	बीज उत्पादक स्वायत्त सहकारिता सीमित, कुन्दौर.	57/23-03-2011	बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कुन्दौर.	1429/18-05-2016	983/05-10-2016
52.	बीज उत्पादक स्वायत्त सहकारिता सीमित, चितांग.	58/20-05-2011	बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., चितांग.	1430/18-05-2016	984/05-10-2016
53.	बीज उत्पादक स्वायत्त सहकारिता सीमित, गजरी.	59/20-05-2011	बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., गजरी.	1431/18-05-2016	985/05-10-2016
54.	बीज उत्पादक स्वायत्त सहकारिता सीमित, ताला.	60/20-05-2011	बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., ताला.	1432/18-05-2016	986/05-10-2016
55.	बीज उत्पादक स्वायत्त सहकारिता सीमित, मझिगवां.	61/20-05-2011	बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मझिगवां.	1433/18-05-2016	987/05-10-2016
56.	बीज उत्पादक स्वायत्त सहकारिता सीमित, शिवपुर.	62/03-06-2011	बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., शिवपुर.	1434/18-05-2016	988/05-10-2016
57.	बीज उत्पादक स्वायत्त सहकारिता सीमित, नौढ़िया.	63/26-07-2011	बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., नौढ़िया.	1435/18-05-2016	989/05-10-2016
58.	बीज उत्पादक स्वायत्त सहकारिता सीमित, बघौड़ी.	64/18-10-2011	बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बघौड़ी.	1436/18-05-2016	990/05-10-2016
59.	बीज उत्पादक स्वायत्त सहकारिता सीमित, तितिरा शुकुलान.	65/18-10-2011	बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., तितिरा शुकुलान.	1437/18-05-2016	991/05-10-2016
60.	बीज उत्पादक स्वायत्त सहकारिता सीमित, मौरा.	66/26-12-2011	बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मौरा.	1438/18-05-2016	992/05-10-2016
61.	बीज उत्पादक स्वायत्त सहकारिता सीमित, बोदारी.	67/26-12-2011	बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बोदारी.	1439/18-05-2016	993/05-10-2016
62.	बीज उत्पादक स्वायत्त सहकारिता सीमित, सहिजनहा.	68/26-12-2011	बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सहिजनहा.	1440/18-05-2016	994/05-10-2016
63.	सब्जी उत्पादक स्वायत्त सहकारिता सीमित, रामपुर नैकिन.	69/26-12-2011	सब्जी उत्पादक सहकारी समिति मर्या., रामपुर नैकिन.	1441/18-05-2016	995/05-10-2016
64.	बीज उत्पादक स्वायत्त सहकारिता सीमित, उपनी.	70/26-03-2012	बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., उपनी.	1442/18-05-2016	996/05-10-2016
65.	बीज उत्पादक स्वायत्त सहकारिता सीमित, बड़खरा 740.	71/07-11-2012	बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बड़खरा 740.	1443/18-05-2016	997/05-10-2016

उक्त संस्थाओं के संचालक मण्डल से अपेक्षा की जाती है, कि वे तत्संबंध में अपना समाधानकारक जबाव अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में दिनांक 31 अक्टूबर, 2016 तक प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें. नियत समयावधि में समाधानकारक जबाव प्रस्तुत न होने की दशा में संस्थाओं को परिसमापन अंतर्गत लाया जा सकेगा.

जी. पी. सोनकुसरे,
उप-रजिस्ट्रार.

(769)

कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला श्योपुर

श्योपुर, दिनांक 19 अक्टूबर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम-1960 की धारा-69 एवं 70 के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/1148.—इस कार्यालय के कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/विधि-परिसमापन/2016/1063, श्योपुर, दिनांक 22 सितम्बर, 2016 द्वारा महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., ओछा, तहसील वीरपुर, जिला श्योपुर को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत संस्था की वर्तमान स्थिति के संबंध में निम्नानुसार आरोप-पत्र जारी किया गया था.

1. संस्था में महिला विक्रेता की नियुक्ति हेतु कार्यालयीन पत्र क्र./विधि/2016/891, दिनांक 30 जुलाई, 2016 से 01 लगायत 06 बिन्दुओं की जानकारी चाही गई थी. किन्तु जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है.
2. संस्था की निष्क्रियता, संस्था में महिला विक्रेता की अवैध नियुक्ति, संस्था के कार्य संचालन में अरूचि, सहकारी विधान एवं नियमों का उलंघन का जवाब कार्यालय में उपस्थित होकर 07 दिवस में प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया किन्तु संचालक मण्डल द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया. इससे स्पष्ट है कि संस्था को उक्त आरोपों के जवाब में कुछ नहीं कहना है, तथा कार्यालय द्वारा जारी कारण बताओ सूचना-पत्र में लगाये गये समस्त आरोप अध्यक्ष/संचालक मण्डल को स्वीकार है.

अतः मैं, दिनेश कुमार चौरसिया, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत राज्य शासन द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., ओछा, तहसील वीरपुर, जिला श्योपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./एस.पी.आर./32, दिनांक 15 अक्टूबर, 2003 को परिसमापन में लाकर श्री आर. एल. सगर, सहकारी निरीक्षक कार्यालय सहायक पंजीयक सहकारी समितियां, जिला श्योपुर को आगामी आदेश तक संस्था को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

उक्त आदेश आज दिनांक 19 अक्टूबर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

दिनेश कुमार चौरसिया,
सहायक पंजीयक.

(770)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उज्जैन, जिला उज्जैन

उज्जैन, दिनांक 30 सितम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2)(सी/ग) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/2357.-इस कार्यालय द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर निम्नलिखित संस्थाओं को सूचित किया गया था कि क्यों न संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये:-

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक
1.	श्री राघवेन्द्र बीज उत्पा. सह. संस्था मर्या., लिम्बोदा	2228/11-09-2015
2.	सार्थक बीज उत्पा. सह. संस्था मर्या., असावता	2229/11-09-2015
3.	अक्षय बीज उत्पा. सह. संस्था मर्या., कासोन	2230/11-09-2015
4.	जयश्री बीज उत्पा. सह. संस्था मर्या., कोयलखेडी	2231/17-09-2015
5.	सर्वकुटुम्ब बीज उत्पा. सह. संस्था मर्या., खरसोदकला	2268/07-10-2015
6.	बालाजी बीज उत्पा. सह. संस्था मर्या., रूनीजा	2269/07-10-2015
7.	श्री सिद्धेश्वर बीज उत्पा. सह. संस्था मर्या., जवासियापंथ	2270/07-10-2015

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधान अनुसार नवीन पंजीकृत सहकारी संस्था को पंजीयन दिनांक से 3 माह के अन्दर संस्था का निर्वाचन करवाया जाना अनिवार्य है. परन्तु संस्था द्वारा पंजीयन दिनांक से आज दिनांक तक निर्वाचन करवाये जाने हेतु प्रस्ताव नहीं दिया है साथ ही संस्था के कारोबार के संबंध में कोई जानकारी एवं कार्य विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है. इस संबंध में कार्यालयीन पत्र कमाँक 813, दिनांक 18 मार्च, 2016 से कारण बताओं सूचना-पत्र जारी किया जाकर दिनांक 02 अप्रैल, 2016 तक संस्था का जवाब चाहा गया था जो कि नियत दिनांक तक अप्राप्त होने से पुनः अवसर प्रदान करते हुये कार्यालयीन पत्र क्रमांक 2159, दिनांक 09 सितम्बर, 2016 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर दिनांक 19 सितम्बर, 2016 तक संस्था का जवाब चाहा गया था. जो कि आज दिनांक तक अप्राप्त है. जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था द्वारा अधिनियम/नियम/उपविधि के प्रावधानों का पालन नहीं करते हुये सदस्यों के हितों के अनुकूल कार्य नहीं किया जा रहा हैं. संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं करवाये जाने एवं कारोबार के संबंध में कोई जानकारी एवं कार्य विवरण प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह प्रतीत होता है कि संस्था उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है एवं संस्था का संचालक मण्डल, संस्था का संचालन करने में उदासीन है.

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित संस्थाओं को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत संस्था के नाम के सम्मुख में उल्लेखित अधिकारियों को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक तत्काल संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था के आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर 3 माह में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें.

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापक का नाम
1.	श्री राघवेन्द्र बीज उत्पा. सह. संस्था मर्या., लिम्बोदा	2228/11-09-2015	श्री सी. एस. असोडिया, CI
2.	सार्थक बीज उत्पा. सह. संस्था मर्या., असावता	2229/11-09-2015	श्री सी. एस. असोडिया, CI
3.	अक्षय बीज उत्पा. सह. संस्था मर्या., कासोन	2230/11-09-2015	श्री राजेन्द्र वर्मा, सहकारी निरी.
4.	जयश्री बीज उत्पा. सह. संस्था मर्या., कोयलखेड़ी	2231/17-09-2015	श्री मुकेश गुप्ता, सहकारी निरी.
5.	सर्वकुटुम्ब बीज उत्पा. सह. संस्था मर्या., खरसोदकला	2268/07-10-2015	श्री सी. एस. असोडिया, CI
6.	बालाजी बीज उत्पा. सह. संस्था मर्या., रुनीजा	2269/07-10-2015	श्री सी. एस. असोडिया, CI
7.	श्री सिद्धेश्वर बीज उत्पा. सह. संस्था मर्या., जवासियापंथ	2270/07-10-2015	श्री राजेन्द्र वर्मा, सहकारी निरी.

यह आदेश आज दिनांक 30 सितम्बर, 2016 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(771)

उज्जैन, दिनांक 30 सितम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2)(सी/ग) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/2358.-इस कार्यालय द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर निम्नलिखित संस्थाओं को सूचित किया गया था कि क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये:-

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., उमरिया	2261/05-10-2015
2.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सारोला	2262/05-10-2015
3.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., झिरोल्या	2264/07-10-2015
4.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गुरला	2265/07-10-2015
5.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पानखेड़ी	2266/07-10-2015
6.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सुरेल	2273/15-10-2015

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधान अनुसार नवीन पंजीकृत सहकारी संस्था को पंजीयन दिनांक से 3 माह के अन्दर संस्था का निर्वाचन करवाया जाना अनिवार्य हैं. परन्तु संस्था द्वारा पंजीयन दिनांक से आज दिनांक तक निर्वाचन करवाये जाने हेतु प्रस्ताव नहीं दिया है साथ ही संस्था के कारोबार के संबंध में कोई जानकारी एवं कार्य विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है. इस संबंध में कार्यालयीन पत्र कमाँक 813, दिनांक 18 मार्च, 2016 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर दिनांक 02 अप्रैल, 2016 तक संस्था का जवाब चाहा

गया था जो कि नियत दिनांक तक अप्राप्त होने से पुनः अवसर प्रदान करते हुये कार्यालयीन पत्र क्रमांक 2159, दिनांक 09 सितम्बर, 2016 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर दिनांक 19 सितम्बर, 2016 तक संस्था का जवाब चाहा गया था. जो कि आज दिनांक तक अप्राप्त है. जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था द्वारा अधिनियम/नियम/उपविधि के प्रावधनों का पालन नहीं करते हुये सदस्यों के हितों के अनुकूल कार्य नहीं किया जा रहा हैं. संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं करवाये जाने एवं कारोबार के संबंध में कोई जानकारी एवं कार्य विवरण प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह प्रतीत होता है कि संस्था उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है एवं संस्था का संचालक मण्डल, संस्था का संचालन करने में उदासीन है.

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित संस्थाओं को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत संस्था के नाम के सम्मुख में उल्लेखित अधिकारियों को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक तत्काल संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था के आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर 3 माह में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें.

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापक का नाम
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., उमरिया	2261/05-10-2015	श्री आर. बी. कनकने, SA
2.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सारोला	2262/05-10-2015	श्री आर. बी. कनकने, SA
3.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., झिरोल्या	2264/07-10-2015	श्री व्ही. डी. जड़े, S.A.
4.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गुरला	2265/07-10-2015	श्री व्ही. डी. जड़े, S.A.
5.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पानखेड़ी	2266/07-10-2015	श्री संजय देवलालीकर, S.A.
6.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सुरेल	2273/15-10-2015	श्री संजय देवलालीकर, S.A.

यह आदेश आज दिनांक 30 सितम्बर, 2016 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(771-A)

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1147, दिनांक 25 मई, 2015 द्वारा ग्रामीण कुम्हारी उद्योग सहकारी संस्था मर्या., निनोरा, तहसील उज्जैन, जिला उज्जैन, जिसका पंजीयन क्रमांक 590, दिनांक 01 जुलाई, 1982 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्री आर. एल. नागर, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी एवं देनदारी संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 06 अक्टूबर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

मनोज जायसवाल,
उप-पंजीयक.

(771-B)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगौन

खरगौन, दिनांक 28 सितम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/1158.—बालाजी साख सहकारी संस्था मर्या., झिरन्या व जिला खरगौन का पंजीयन क्रमांक 1772, दिनांक 10 मार्च, 2014 (संपरिवर्तित) को कार्यालयीन आदेश क्र./परिसमापन/1737, दिनांक 28 दिसम्बर, 2010 द्वारा परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक श्री बसन्त यादव, सहकारी निरीक्षक द्वारा दिनांक 22 नवम्बर, 2015 को सदस्यों की विशेष आमसभा आयोजित की गई. जिसमें आगामी तीन वर्षों की कार्ययोजना बनाकर संस्था को पुनर्जीवित हेतु निर्णय लिया गया.

अत मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगौन, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ/5/1/99/पन्द्रह/1/सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा अधिनियम, 69 (4)

के अंतर्गत पंजीयक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सदस्यों के व्यापक हित में बालाजी साख सहकारी संस्था मर्या., झिरन्या, तहसील झिरन्या व जिला खरगौन का पंजीयन क्रमांक निम्न शर्तों के साथ पुनर्जीवित किया जाता है.

1. समिति की प्रस्तुत कार्ययोजना अनुसार अपना कार्य व्यवसाय समिति के उपविधि के अनुरूप करना सुनिश्चित करेगी एवं प्रगति से कार्यालय को अवगत कराएगी.
2. समिति प्रत्येक वित्तिय वर्ष की समाप्ति के पश्चात दो माह के भीतर अंकेक्षण हेतु संस्था के वित्तिय पत्रक एवं अन्य अभिलेख कार्यालय को अनिवार्यत: प्रस्तुत करेगी.
3. समिति की तद्र्थ प्रबंधकारिणी समिति तीन माह के भीतर निर्वाचन कराये जाने हेतु विधिवत प्रस्ताव कार्यालय में प्रस्तुत करेगी.
4. नामांकित अवधि में संचालक मण्डल द्वारा प्रस्तावित कार्ययोजना अनुसार संचालन न करने पर वैधानिक कार्यवाही की जावेगी.
5. समिति की पुरानी लाभ-हानि एवं समस्त लेनदारी-देनदारी के निराकरण की जिम्मेंदारी समिति की होगी.
6. समिति की नामंकित प्रबंधकारिणी निर्वाचन होने तक श्री बसन्त यादव, सह. निरी. के नियंत्रण एवं मार्गदर्शन में कार्य करेगी एवं प्रत्येक गतिविधियों से अवगत करायेगी.

संस्था की विशेष आमसभा में कार्य संचालन हेतु प्रस्तावित निम्नांकित कार्यकारिणी समिति तीन माह हेतु नामांकित की जाती है, जो उपर्युक्त शर्तों का पालन सुनिश्चित करेगी.

नामांकित कार्यकारिणी:-

1.	श्री राहुल-घनश्याम	अध्यक्ष	7.	श्री शिवशंकर राठौर	संचालक
2.	श्री अतुल-घनश्याम	उपाध्यक्ष	8.	श्री सरदार-हिरला	संचालक
3.	श्रीमती भगवती-घनश्याम	उपाध्यक्ष	9.	श्री राहुल-प्रेमलाल	संचालक
4.	श्री दीपक-लक्ष्मण	संचालक	10.	श्रीमति रानु-राहुल	संचालक
5.	श्री अरुण राठौर	संचालक	11.	श्री राधेमोहन-सत्यनाराण	संचालक
6.	श्रीमति उर्मिला-राधेश्याम	संचालक			

यह आदेश आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

बी. एस. अलावा,
उप-पंजीयक.

(772)

कार्यालय परिसमापक सहकारी संस्थाएं, जिला इन्दौर

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत]

उप आयुक्त सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा निम्न लिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापन क्रमांक एवं दिनांक
1	2	3	4
1.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., काकरियापाल, जिला इंदौर.	ए.आर./आय.डी.आर./590 दिनांक 11-08-1981	क्र./परिसमापन/16/3481 दिनांक 27-08-2016
2.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सुमठा, जिला इंदौर.	ए.आर./आय.डी.आर./680 दिनांक 14-10-1982	क्र./परिसमापन//16/3481 दिनांक 27-08-2016
3.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गोकुलपुर, जिला इंदौर.	ए.आर./आय.डी.आर./673 दिनांक 10-11-1982	क्र./परिसमापन/16/3481 दिनांक 27-08-2016
4.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सगडोद, जिला इंदौर.	ए.आर./आय.डी.आर./668 दिनांक 14-10-1982	क्र./परिसमापन/16/3481 दिनांक 27-08-2016
5.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बछोडा, जिला इंदौर.	ए.आर./आय.डी.आर./685 दिनांक 10-11-1982	क्र./परिसमापन/16/3481 दिनांक 27-08-2016

1	2	3	4
6.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., टाकून, जिला इंदौर.	ए.आर./आय.डी.आर./765 दिनांक 07-08-1984	क्र./परिसमापन/16/3481 दिनांक 27-08-2016
7.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., विरगोंदा, जिला इंदौर.	ए.आर./आय.डी.आर./882 दिनांक 01-10-1988	क्र./परिसमापन/16/3481 दिनांक 27-08-2016
8.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., काकरिया, जिला इंदौर.	ए.आर./आय.डी.आर./833 दिनांक 01-10-1986	क्र./परिसमापन/16/3481 दिनांक 27-08-2016
9.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., औरंगपुरा, जिला इंदौर.	ए.आर./आय.डी.आर./834 दिनांक 08-10-1986	क्र./परिसमापन/16/3481 दिनांक 27-08-2016
10.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., भिचौली मर्दान, जिला इंदौर.	ए.आर./आय.डी.आर./848 दिनांक 26-06-1987	क्र./परिसमापन/16/3481 दिनांक 27-08-2016

सहकारी अधिनियम की धारा-77 (1) के अन्तर्गत परिसमापन दिनांक से संस्थाओं की समस्त अस्तियॉ परिसमापक में वेष्ठित हो गई हैं. अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों को इस सूचना-पत्र के जारी करने के दिनांक से 60 दिवस के अंदर मय प्रमाण के यदि कोई हो तो लिखित रूप से मेरे कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता श्रमशिविर जेल रोड, इन्दौर में कार्यालयीन दिवसों से दोपहर 12.00 से 2.00 बजे तक प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे. समयावधि उपरांत उनकी कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होगी तथा संस्थाओं की लेखा पुस्तकों में लेखा बद्ध दायित्व स्वयं मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या अस्तियॉ, डेड स्टॉक, संस्था का रिकार्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपे यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर अस्तियों या अभिलेख एवं रिकार्ड, डेड स्टॉक नहीं सौंपे गये है तो संबंधित के विरुद्ध उनकी वसूलने हेतु विधिवत कार्यवाही की जावेगी. जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी संबंधित की रहेगी.

यदि उक्त संस्था के अभिलेख एवं अस्तियाँ समस्त प्रयासों के बावजूद भी प्राप्त नहीं होती तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे आपत्तियों का निराकरण गत वर्षो के वित्तीय पत्रकों में दर्शाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियां बोगस/शून्य मानकर तदानुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 05 सितम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की गई है.

राजेश मालवीय,
उप-अंकेक्षक एवं परिसमापक.

(773)

कार्यालय परिसमापक सहकारी संस्थाएं, जिला इन्दौर

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत)

उप आयुक्त सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा निम्न लिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापन क्रमांक एवं दिनांक
1	2	3	4
1.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सिमरोल, जिला इंदौर.	ए.आर./आय.डी.आर./600 दिनांक 24-10-1981	क्र./परिसमापन/16/3481 दिनांक 27-08-2016
2.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., खुडैल, जिला इंदौर.	ए.आर./आय.डी.आर./305 दिनांक 30-05-1981	क्र./परिसमापन/16/3481 दिनांक 27-08-2016
3.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रंगवासा राउ, जिला इंदौर.	ए.आर./आय.डी.आर./265 दिनांक 10-10-1980	क्र./परिसमापन/16/3481 दिनांक 27-08-2016
4.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., हासलपुर, जिला इंदौर.	ए.आर./आय.डी.आर./595 दिनांक 24-10-1982	क्र./परिसमापन/16/3481 दिनांक 27-08-2016

1	2	3	4
5.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कदवालीखुर्द, जिला इंदौर.	ए.आर./आय.डी.आर./671 दिनांक 14-10-1982	क्र./परिसमापन/16/3481 दिनांक 27-08-2016
6.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कछालिया, जिला इंदौर.	ए.आर./आय.डी.आर./674 दिनांक 14-10-1982	क्र./परिसमापन/16/3481 दिनांक 27-08-2016
7.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., घाटाबिल्लोद, जिला इंदौर.	ए.आर./आय.डी.आर./734 दिनांक 18-08-1983	क्र./परिसमापन/16/3481 दिनांक 27-08-2016
8.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पिपलदा, जिला इंदौर.	ए.आर./आय.डी.आर./849 दिनांक 26-06-1987	क्र./परिसमापन/16/3481 दिनांक 27-08-2016
9.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., धन्नड, जिला इंदौर.	ए.आर./आय.डी.आर./694 दिनांक 14-10-1982	क्र./परिसमापन/16/3481 दिनांक 27-08-2016
10.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गौतमपुरा, जिला इंदौर.	ए.आर./आय.डी.आर./686 दिनांक 14-10-1982	क्र./परिसमापन/16/3481 दिनांक 27-08-2016
11.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., हरियाखेडी, जिला इंदौर.	ए.आर./आय.डी.आर./1165 दिनांक 30-03-1993	क्र./परिसमापन/16/3481 दिनांक 27-08-2016
12.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., तिल्लौरखुर्द, जिला इंदौर.	ए.आर./आय.डी.आर./605 दिनांक 24-10-1981	क्र./परिसमापन/16/3481 दिनांक 27-08-2016
13.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पिवडाय, जिला इंदौर.	ए.आर./आय.डी.आर./603 दिनांक 05-05-1981	क्र./परिसमापन/16/3481 दिनांक 27-08-2016
14.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., हरसोला, जिला इंदौर.	ए.आर./आय.डी.आर./603 दिनांक 24-04-1981	क्र./परिसमापन/16/3481 दिनांक 27-08-2016
15.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., डकाच्या, जिला इंदौर.	ए.आर./आय.डी.आर./266 दिनांक 01-10-1980	क्र./परिसमापन/16/3481 दिनांक 27-08-2016
16.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बरलाई, जिला इंदौर.	ए.आर./आय.डी.आर./590 दिनांक 11-08-1981	क्र./परिसमापन/16/3481 दिनांक 27-08-2016
17.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कम्पेल, जिला इंदौर.	ए.आर./आय.डी.आर./607 दिनांक 21-10-1980	क्र./परिसमापन16/3481

सहकारी अधिनियम की धारा-77 (1) के अन्तर्गत परिसमापन दिनांक से संस्थाओं की समस्त अस्तियाँ परिसमापक में वेष्ठित हो गई हैं. अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों को इस सूचना-पत्र के जारी करने के दिनांक से 60 दिवस के अंदर मय प्रमाण के यदि कोई हो तो लिखित रूप से मेरे कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता श्रमशिविर जेल रोड, इन्दौर में कार्यालयीन दिवसों से दोपहर 12.00 से 2.00 बजे तक प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे. समयावधि उपरांत उनकी कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होगी तथा संस्थाओं की लेखा पुस्तकों में लेखा बद्ध दायित्व स्वयं मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या अस्तियां, डेड स्टॉक, संस्था का रिकार्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपे यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर अस्तियों या अभिलेख एवं रिकार्ड, डेड स्टॉक नहीं सौंप गये है तो संबंधित के विरुद्ध उनकी वसूलने हेतु विधिवत कार्यवाही की जावेगी. जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी संबंधित की रहेगी.

यदि उक्त संस्था के अभिलेख एवं अस्तियां समस्त प्रयासों के बावजूद भी प्राप्त नहीं होती तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे आपत्तियों का निराकरण गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में दर्शाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियां बोगस/शून्य मानकर तदानुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 05 सितम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की गई है.

संजय कुचनकर,
सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक.

कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता एवं उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर

शाजापुर, दिनांक 26 अगस्त, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/870.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कोलवा, तहसील कालापीपल, जिला शाजापुर, पंजीयन क्रमांक 712, दिनांक 31 मार्च, 1979 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2014/915, शाजापुर, दिनांक 19 अगस्त, 2014 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम-1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक से प्राप्त अंतिम प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उक्त संस्था में कोई लेना-देना शेष नहीं रहा है.

अतः मैं मीना डाबर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 26 अगस्त, 2016 से निगमित निकाय के रूप में नही रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 26 अगस्त, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(775)

शाजापुर, दिनांक 26 अगस्त, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/871.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मकोडी, तहसील शाजापुर, जिला शाजापुर, पंजीयन क्रमांक 147, दिनांक 25 जनवरी, 1980 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2014/941, शाजापुर, दिनांक 19 अगस्त, 2014 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम-1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक से प्राप्त अंतिम प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उक्त संस्था में कोई लेना-देना शेष नहीं रहा है.

अतः मैं मीना डाबर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 26 अगस्त, 2016 से निगमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 26 अगस्त, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

मीना डाबर,
उप-पंजीयक.

(775-A)

कार्यालय सहायक आयुक्त, सहकारिता, जिला-कटनी

कटनी, दिनांक 24 अक्टूबर, 2016

क्र./सपंक/परिसमापन/16/1379.— कल्याण ईधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., हेमूकलानी वार्ड, कटनी पं. क्र. 191, दिनांक 06 जून, 2014 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/सपंक/परिसमापन/341, दिनांक 06 अप्रैल, 2015 से परिसमापन में लाकर परिसमापक की नियुक्ति की थी.

परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है.

अतः मैं, डॉ. भरत कुमार मोदी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कटनी, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-डी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1989 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वेष्ठित हैं, का प्रयोग करते हुये कल्याण ईधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., हेमूकलानी वार्ड, कटनी पं.क्र. 191, दिनांक 06 जून, 2014 का पंजीयन निरस्त करता हूँ एवं निगमित निकाय समाप्त किया जाता है.

यह आदेश आज दिनांक 24 अक्टूबर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(780)

कटनी, दिनांक 24 अक्टूबर, 2016

क्र./सपंक/परिसमापन/16/1380.—मौलाना आजाद महिला ईंधन सहकारी समिति मर्या., राम निवास सिंह वार्ड, कटनी पं. क्र. 189, दिनांक 06 जून, 2014 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/सपंक/परिसमापन/339, दिनांक 06 अप्रैल, 2015 से परिसमापन में लाकर परिसमापक की नियुक्ति की थी.

परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है.

अतः मैं, डॉ. भरत कुमार मोदी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कटनी, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-डी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1989 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वेष्ठित है, का प्रयोग करते हुये मौलाना आजाद महिला ईंधन सहकारी समिति मर्या., राम निवास सिंह वार्ड, कटनी पं.क्र. 189, दिनांक 06 जून, 2014 का पंजीयन निरस्त करता हूँ एवं निगमित निकाय समाप्त किया जाता है.

यह आदेश आज दिनांक 24 अक्टूबर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(780-A)

कटनी, दिनांक 24 अक्टूबर, 2016

क्र./सपंक/परिसमापन/16/1381.— राम मनोहर लोहिया श्रम ठेका मजदूर सहकारी समिति मर्या., पाठक वार्ड, कटनी पं.क्र. 215, दिनांक 06 जून, 2014 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/सपंक/परिसमापन/364, दिनांक 06 अप्रैल, 2015 से परिसमापन में लाकर परिसमापक की नियुक्ति की थी.

परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है.

अतः मैं, डॉ. भरत कुमार मोदी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कटनी, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-डी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1989 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वेष्ठित है, का प्रयोग करते हुये राम मनोहर लोहिया श्रम ठेका मजदूर सहकारी समिति मर्या., पाठक वार्ड, कटनी पं.क्र. 215, दिनांक 06 जून, 2014 का पंजीयन निरस्त करता हूँ एवं निगमित निकाय समाप्त किया जाता है.

यह आदेश आज दिनांक 24 अक्टूबर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(780-B)

कटनी, दिनांक 24 अक्टूबर, 2016

क्र./सपंक/परिसमापन/16/1382.— लक्ष्मी साख सहकारी समिति मर्या., महाराणा प्रताप वार्ड, कटनी पं.क्र 214, दिनांक 06 जून, 2014 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/सपंक/परिसमापन/363, दिनांक 06 अप्रैल, 2015 से परिसमापन में लाकर परिसमापक की नियुक्ति की थी.

परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है.

अतः मैं, डॉ. भरत कुमार मोदी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कटनी, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-डी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1989 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वेष्ठित है, का प्रयोग करते हुये लक्ष्मी साख सहकारी समिति मर्या., महाराणा प्रताप वार्ड, कटनी पं.क्र 214, दिनांक 06 जून, 2014 पंजीयन निरस्त करता हूँ एवं निगमित निकाय समाप्त किया जाता है.

यह आदेश आज दिनांक 24 अक्टूबर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(780-C)

कटनी, दिनांक 24 अक्टूबर, 2016

क्र./सपंक/परिसमापन/16/1383.— आदिवासी अनुसूचित जाति दलिया आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., कटनी , पं.क्र 219, दिनांक 06 जून, 2014 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/सपंक/परिसमापन/368, दिनांक 06 अप्रैल, 2015 से परिसमापन में लाकर परिसमापक की नियुक्ति की थी.

परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है.

अतः मैं, डॉ. भरत कुमार मोदी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कटनी, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-डी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1989 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वेष्ठित है, का प्रयोग करते हुये आदिवासी अनुसूचित जाति दलिया आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., कटनी, पं.क्र 219, दिनांक 06 जून, 2014 का पंजीयन निरस्त करता हूँ एवं निगमित निकाय समाप्त किया जाता है.

यह आदेश आज दिनांक 24 अक्टूबर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(780-D)

कटनी, दिनांक 24 अक्टूबर, 2016

क्र./सपंक/परि./16/1384.— महिला कल्याण ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., सुभाष वार्ड, कटनी, पं.क्र 188, दिनांक 06 जून, 2014 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/संपक/परिसमापन/338, दिनांक 06 अप्रैल, 2015 से परिसमापन में लाकर परिसमापक की नियुक्ति की थी.

परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है.

अतः मैं, डॉ. भरत कुमार मोदी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कटनी, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-डी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1989 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वेष्ठित हैं, का प्रयोग करते हुये महिला कल्याण ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., सुभाष वार्ड, कटनी, पं.क्र 188, दिनांक 06 जून, 2014 का पंजीयन निरस्त करता हूँ एवं निगमित निकाय समाप्त किया जाता है.

यह आदेश आज दिनांक 24 अक्टूबर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(780-E)

कटनी, दिनांक 24 अक्टूबर, 2016

क्र./सपंक/परि./16/1385.— महारानी अहिल्या देवी महिला ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., रघुनाथगंज वार्ड, कटनी, पं.क्र 187, दिनांक 06 जून, 2014 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/संपक/परिसमापन/337, दिनांक 06 अप्रैल, 2015 से परिसमापन में लाकर परिसमापक की नियुक्ति की थी.

परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है.

अतः मैं, डॉ. भरत कुमार मोदी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कटनी, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-डी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1989 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वेष्ठित हैं, का प्रयोग करते हुये महारानी अहिल्या देवी महिला ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., रघुनाथगंज वार्ड, कटनी, पं.क्र. 187, दिनांक 06 जून, 2014 का पंजीयन निरस्त करता हूँ एवं निगमित निकाय समाप्त किया जाता है.

यह आदेश आज दिनांक 24 अक्टूबर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(780-F)

कटनी, दिनांक 24 अक्टूबर, 2016

क्र./सपंक/परि./16/1386.— डॉ. भीमराव अम्बेडकर सहकारी समिति मर्या., गायत्री नगर कटनी, पं. क्र. 213, दिनांक 06 जून, 2014 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/सपंक/परिसमापन/362, दिनांक 06 अप्रैल, 2015 से परिसमापन में लाकर परिसमापक की नियुक्ति की थी.

परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है.

अतः मैं, डॉ. भरत कुमार मोदी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कटनी, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-डी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1989 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वेष्ठित हैं, का प्रयोग करते हुये डॉ. भीमराव अम्बेडकर सहकारी समिति मर्या., गायत्री नगर कटनी, पं.क्र. 213, दिनांक 06 जून, 2014 का पंजीयन निरस्त करता हूँ एवं निगमित निकाय समाप्त किया जाता है.

यह आदेश आज दिनांक 24 अक्टूबर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

भरत कुमार मोदी,
सहायक पंजीयक.

(780-G)

कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता, जिला शिवपुरी

शिवपुरी, दिनांक 26 अक्टूबर, 2016

क्र./परि./2016/2061.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2016/1618, दिनांक 29 अगस्त, 2016 द्वारा श्रीराम औद्योगिक सहकारी संस्था मर्या., बदरवास को अक्रियाशील होकर मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपनियमों का पालन नहीं करने के फलस्वरूप कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर 30 दिवस में जवाब चाहा गया था परन्तु संस्था द्वारा पर्याप्त समयावधि व्यतीत होने के पश्चात् भी कोई जवाब प्रस्तुत नहीं करने से यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि, संस्था के सदस्य कार्य में रुचि नहीं रखते हैं एवं संस्था सदस्यों के हित में कार्य नहीं कर रही है. अतः मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है.

अतः मैं, एस. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थायें, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-सी, भोपाल, दिनरांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत श्रीराम औद्योगिक सहकारी संस्था मर्या., बदरवास, जिसका पंजीयन क्रमांक 666, दिनांक 29 मार्च, 2016 है, को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ एवं धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

(781)

शिवपुरी, दिनांक 26 अक्टूबर, 2016

क्र./परि./2016/2062.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2016/1617, दिनांक 29 अगस्त, 2016 द्वारा श्रीराम बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., शिवपुरी को अक्रियाशील होकर मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपनियमों का पालन नहीं करने के फलस्वरूप कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर 30 दिवस में जवाब चाहा गया था परन्तु संस्था द्वारा पर्याप्त समयावधि व्यतीत होने के पश्चात् भी कोई जवाब प्रस्तुत नहीं करने से यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि, संस्था के सदस्य कार्य में रुचि नहीं रखते हैं एवं संस्था सदस्यों के हित में कार्य नहीं कर रही है. अतः मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है.

अतः मैं, एस. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थायें, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत श्रीराम बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., शिवपुरी, जिसका पंजीयन क्रमांक 658, दिनांक 07 दिसम्बर, 2015 है, को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ एवं धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री विजय कुमार जैन, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

(781-A)

शिवपुरी, दिनांक 26 अक्टूबर, 2016

क्र./परि./2016/2064.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2016/1615, दिनांक 29 अगस्त, 2016 द्वारा खनिज उत्खनन सहकारी संस्था मर्या., श्रीपुरा को अक्रियाशील होकर मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपनियमों का पालन नहीं करने के फलस्वरूप कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर 30 दिवस में जवाब चाहा गया था परन्तु संस्था द्वारा पर्याप्त समयावधि व्यतीत होने के पश्चात् भी कोई जवाब प्रस्तुत नहीं करने से यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि, संस्था के सदस्य कार्य में रुचि नहीं रखते हैं एवं संस्था सदस्यों के हित में कार्य नहीं कर रही है. अतः मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है.

अतः मैं, एस. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थायें, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत खनिज उत्खनन सहकारी संस्था मर्या., श्रीपुरा, जिसका पंजीयन क्रमांक 664, दिनांक 03 फरवरी, 2016 है, को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ एवं धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री पी. बंसल, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

(781-B)

शिवपुरी, दिनांक 26 अक्टूबर, 2016

क्र./परि./2016/2065.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2016/1621, दिनांक 29 अगस्त, 2016 द्वारा महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., कलोथरा को अक्रियाशील होकर मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपनियमों का पालन नहीं करने के फलस्वरूप कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर 30 दिवस में जवाब चाहा गया था परन्तु संस्था द्वारा पर्याप्त समयावधि व्यतीत होने के पश्चात् भी कोई जवाब प्रस्तुत नहीं करने से यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि, संस्था के सदस्य कार्य में रुचि नहीं रखते हैं एवं संस्था सदस्यों के हित में कार्य नहीं कर रही है. अतः मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है.

अतः मैं, एस. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थायें, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., कलोथरा, जिसका पंजीयन क्रमांक 651, दिनांक 01 दिसम्बर, 2015 है, को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ एवं धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री आर. एन. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

(781-C)

शिवपुरी, दिनांक 26 अक्टूबर, 2016

क्र./परि./2016/2066.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2016/1612, दिनांक 29 अगस्त, 2016 द्वारा कार्यालयीन सामग्री सप्लायर्स सहकारी संस्था मर्या., शिवपुरी को अक्रियाशील होकर मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपनियमों का पालन नहीं करने के फलस्वरूप कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर 30 दिवस में जवाब चाहा गया था परन्तु संस्था द्वारा पर्याप्त समयावधि व्यतीत होने के पश्चात् भी कोई जवाब प्रस्तुत नहीं करने से यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि, संस्था के सदस्य कार्य में रुचि नहीं रखते हैं एवं संस्था सदस्यों के हित में कार्य नहीं कर रही है. अतः मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है.

अतः मैं, एस. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थायें, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत कार्यालयीन सामग्री सप्लायर्स सहकारी संस्था मर्या., शिवपुरी, जिसका पंजीयन क्रमांक 667, दिनांक 29 मार्च, 2016 है, को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ एवं धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री चमन सिंह, उप-अंकेक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

(781-D)

शिवपुरी, दिनांक 26 अक्टूबर, 2016

क्र./परि./2016/2067.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2016/1611, दिनांक 29 अगस्त, 2016 द्वारा चित्रांश प्रिंटर्स एवं सप्लायर्स सहकारी संस्था मर्या., करैरा को अक्रियाशील होकर मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपनियमों का पालन नहीं करने के फलस्वरूप कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर 30 दिवस में जवाब चाहा गया था परन्तु संस्था द्वारा पर्याप्त समयावधि व्यतीत होने के पश्चात् भी कोई जवाब प्रस्तुत नहीं करने से यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि, संस्था के सदस्य कार्य में रुचि नहीं रखते हैं एवं संस्था सदस्यों के हित में कार्य नहीं कर रही है. अतः मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है.

अतः मैं, एस. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थायें, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत चित्रांश प्रिंटर्स एवं सप्लायर्स सहकारी संस्था मर्या., करैरा, जिसका पंजीयन क्रमांक 662, दिनांक 29 दिसम्बर, 2015 है, को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ एवं धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री चमन सिंह, उप-अंकेक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

(781-E)

शिवपुरी, दिनांक 26 अक्टूबर, 2016

क्र./परि./2016/2068.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2016/1622, दिनांक 29 अगस्त, 2016 द्वारा माँ दुर्गा महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., सिंहनिवास को अक्रियाशील होकर मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपनियमों का पालन नहीं करने के फलस्वरूप कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर 30 दिवस में जवाब चाहा गया था परन्तु संस्था द्वारा पर्याप्त समयावधि व्यतीत होने के पश्चात् भी कोई जवाब प्रस्तुत नहीं करने से यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि, संस्था के सदस्य कार्य में रुचि नहीं रखते हैं एवं संस्था सदस्यों के हित में कार्य नहीं कर रही है. अतः मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है.

अतः मैं, एस. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थायें, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत माँ दुर्गा महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., सिंहनिवास, जिसका पंजीयन क्रमांक 655, दिनांक 01 दिसम्बर, 2015 है, को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ एवं धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री विजय कुमार जैन, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

(781-F)

शिवपुरी, दिनांक 26 अक्टूबर, 2016

क्र./परि./2016/2069.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2016/1620, दिनांक 29 अगस्त, 2016 द्वारा महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., माढागणेश को अक्रियाशील होकर मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपनियमों का पालन नहीं करने के फलस्वरूप कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर 30 दिवस में जवाब चाहा गया था परन्तु संस्था द्वारा पर्याप्त समयावधि व्यतीत होने के पश्चात् भी कोई जवाब प्रस्तुत नहीं करने से यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि, संस्था के सदस्य कार्य में रुचि नहीं रखते हैं एवं संस्था सदस्यों के हित में कार्य नहीं कर रही है. अतः मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है.

अतः मैं, एस. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थायें, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., माढागणेश, जिसका पंजीयन क्रमांक 650, दिनांक 01 दिसम्बर, 2015 है, को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ एवं धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री पी. सी. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

(781-G)

शिवपुरी, दिनांक 26 अक्टूबर, 2016

क्र./परि./2016/2070.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2016/1619, दिनांक 29 अगस्त, 2016 द्वारा महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., इमलिया को अक्रियाशील होकर मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपनियमों का पालन नहीं करने के फलस्वरूप कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर 30 दिवस में जवाब चाहा गया था परन्तु संस्था द्वारा पर्याप्त समयावधि व्यतीत होने के पश्चात् भी कोई जवाब प्रस्तुत नहीं करने से यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि, संस्था के सदस्य कार्य में रुचि नहीं रखते हैं एवं संस्था सदस्यों के हित में कार्य नहीं कर रही है. अतः मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है.

अतः मैं, एस. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थायें, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., इमलिया, जिसका पंजीयन क्रमांक 649, दिनांक 01 दिसम्बर, 2015 है, को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ एवं धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री आर. एन. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

(781-H)

उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी

शिवपुरी, दिनांक 26 अक्टूबर, 2016

क्र./परि./2016/2071.—माँ शारदा मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., कोटा, जिला शिवपुरी, पंजीयन क्रमांक 548, दिनांक 17 जून, 2009 के परिसमापक श्री मुकेश सक्सेना, सहकारी निरीक्षक द्वारा उपरोक्त संस्था के सदस्यों के हितों की दृष्टि से कार्यशील किये जाने का प्रस्ताव अपनी अनुशंसा सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत किया है साथ ही संस्था के रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर पाया गया कि, संस्था कार्यशील है. जिससे सहमत होते हुये पूर्व संशोधित आदेश क्र./परि./1004, दिनांक 16 मई, 2016 को निरस्त किया जाकर संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अंतर्गत परिसमापन से मुक्त किया जाता है. संस्था के कारोबार चलाने हेतु 3 माह के लिये निम्नांकित सदस्यों की प्रबंध समिति नामांकित की जाती है, नामांकित प्रबंध समिति तीन माह के भीतर नियमानुसार निर्वाचन कराये जाने के साथ-साथ नियमानुसार कार्य प्रारम्भ करें अन्यथा की स्थिति में संस्था के पुनः परिसमापन की कार्यवाही कर दी जावेगी.

1.	श्री खैरू पुत्र श्री जगनी	अध्यक्ष
2.	श्रीमती शांति बाई पत्नी श्री संतोष	उपाध्यक्ष
3.	श्री राजू पुत्र श्री कल्लाराम	सदस्य
4.	श्री रमेश ढीमर पुत्र श्री प्रीतम	सदस्य
5.	श्री बाबूलाल पुत्र श्री कल्लाराम	सदस्य
6.	श्री मुकेश सक्सेना, सह. निरी.	सदस्य

एस. के. सिंह,
उप-पंजीयक.

(781-I)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उज्जैन, जिला उज्जैन

उज्जैन, दिनांक.....अक्टूबर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2)(सी/ग) के अंतर्गत]

इस कार्यालय द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर निम्नलिखित संस्था को सूचित किया गया था कि क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये:-

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक
1.	विवेकानन्द प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार मर्या., तराना	937/14-01-1991

कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित कारणों का जवाब व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि 22 अगस्त, 2016 तक संस्था की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ और न ही कोई जवाब प्रस्तुत किया है. संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराये जाने के कारण धारा-49 (7-ख) के तहत् प्रशासक नियुक्त किया गया, प्रशासक नियुक्ति के बाद भी 06 माह के अन्दर संस्था द्वारा निर्वाचन प्रस्ताव नहीं दिया गया और न ही संस्था का चार्ज एवं रिकार्ड सौंपा गया है, साथ ही संस्था निर्धारित पते पर कार्यरत नहीं है और न ही संस्था का सूचना बोर्ड पाया गया. जिससे यह प्रतीत होता है कि, संस्था उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है एवं संस्था के सदस्य, संस्था का संचालन करने में उदासीन हैं.

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत संस्था के नाम के सम्मुख में उल्लेखित अधिकारी को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक तत्काल संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था के आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर 3 माह में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें:—

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापक का नाम
1.	विवेकानन्द प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार मर्या., तराना	937/14-01-1991	श्री एस. एल. चौहान, सहकारी निरीक्षक.

यह आदेश आज दिनांक अक्टूबर, 2016 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(782)

उज्जैन, दिनांक.....अक्टूबर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2)(सी/ग) के अंतर्गत]

इस कार्यालय द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर निम्नलिखित संस्था को सूचित किया गया था कि क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये:-

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक
1.	माँ राजेश्वरी प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार मर्या., उज्जैन	1743/16-04-2010

कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित कारणों का जवाब व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि 22 अगस्त, 2016 तक संस्था की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ और न ही कोई जवाब प्रस्तुत किया है. संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराये जाने के कारण धारा-49 (7-ख) के तहत् प्रशासक नियुक्त किया गया, प्रशासक नियुक्ति के बाद भी 06 माह के अन्दर संस्था द्वारा निर्वाचन प्रस्ताव नहीं दिया गया और न ही संस्था का चार्ज एवं रिकार्ड सौंपा गया है, जिससे यह प्रतीत होता है कि, संस्था उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है एवं संस्था के सदस्य, संस्था का संचालन करने में उदासीन हैं.

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत संस्था के नाम के सम्मुख में उल्लेखित अधिकारी को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक तत्काल संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था के आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर 3 माह में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें:—

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापक का नाम
1.	माँ राजेश्वरी प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार मर्या., उज्जैन	1743/16-04-2010	श्री विनायक राजुरकर, सहकारी निरीक्षक.

यह आदेश आज दिनांक अक्टूबर, 2016 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

मनोज जायसवाल,
उप-पंजीयक.

(782-A)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2016

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 47] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 18 नवम्बर, 2016-कार्तिक 27, शके 1938

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल एवं पशु स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 20 जुलाई, 2016

1. मौसम एवं वर्षा.--राज्य में इस सप्ताह आकाश मेघाच्छादित रहा है तथा राज्य के अधिकांश जिलों में वर्षा का होना पाया गया है.-

(अ) 01 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक.-तहसील अशोकनगर, चन्देरी (अशोकनगर), आरोन, चांचौड़ा (गुना), बीना, खुरई, बंडा, राहतगढ़ (सागर), सुबासराटप्पा, मंदसौर, श्यामगढ़, सीतामऊ, धुन्धड़का (मंदसौर), जावरा, आलोट, सैलाना, बाजना, पिपलौदा (रतलाम), खाचरौद, महिदपुर, बड़नगर, नागदा (उज्जैन), मो. बड़ोदिया, शाजापुर, गुलाना (शाजापुर), पेटलावद (झाबुआ), सोंडवा, उदयगढ़, चन्द्रशेखर आ. नगर (अलीराजपुर), बदनापुर, धार, कुक्षी, मनावर, धरमपुरी, डही (धार), सेगांव, खरगौन, भगवानपुर (खरगौन), बुरहानपुर (बुरहानपुर), श्यामपुर, रेहटी (सीहोर), गैरतगंज, सिलवानी (रायसेन), बाबई, इटारसी (होशंगाबाद), हरदा, खिडकिया, टिमरनी (हरदा), पाटन, जबलपुर (जबलपुर), छिन्दवाड़ा, चांद, उमरेठ, मोहखेड़ा (छिन्दवाड़ा), कुरई (सिवनी) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक.-तहसील भितरवार (ग्वालियर), खनियाधाना (शिवपुरी), मुंगावली, ईसागढ़ (अशोकनगर), गुना, राघोगढ़, बमोरी, कुंभराज (गुना), टीकमगढ़ (टीकमगढ़), देवरी, केसली, शाहगढ़ (सागर), बटियागढ़, जवेरा, तेन्दूखेड़ा (दमोह), सोहागपुर, ब्यौहारी (शहडोल), मानपुर (उमरिया), भानपुरा, मल्हरगढ़, गरोठ, संजीत, कयामपुर (मंदसौर), रतलाम (रतलाम), जोवट, अलीराजपुर, कट्टीवाड़ा (अलीराजपुर), सरदारपुर, गंधवानी (धार), बड़वाह, महेश्वर, कसरावद, झिरन्या (खरगौन), आष्टा, जावर, इच्छावर, नसरूल्लागंज (सीहोर), रायसेन, बेगमगंज (रायसेन), सिवनी, मालवा, होशंगाबाद, सोहागपुर, पिपरिया, वनखेड़ी (होशंगाबाद), सीहोरा, मंझोली (जबलपुर), गाडरवाड़ा, करेली, गोटेगांव, तेन्दूखेड़ा (नरसिंहपुर), जुन्नारदेव, परासिया, सोंसर, पांढुर्ना, चौरई, अमरवाड़ा, बिछुआ, हर्रई (छिन्दवाड़ा), सिवनी-लखनादौन, घनोरा (सिवनी), किरनापुर (बालाघाट) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(स) 35.0 मि. मी. से 53.1 मि. मी. तक.- तहसील अम्बाह (मुरैना), ग्वालियर, घाटीगाँव (ग्वालियर), कैलारस (शिवपुरी), जतारा, वल्देवगढ़ (टीकमगढ़), वक्स्वाहा (छतरपुर), सागर, रेहली, गढ़ाकोटा, मालथोन (सागर), दमोह, पथरिया (दमोह), रामपुर-वघेलान (सतना), बुढ़ार (शहडोल), अनूपपुर (अनूपपुर), बांधवगढ़, पाली (उमरिया), मंझोली (सीधी), गोगावां, भीकनगांव (खरगौन), नेपानगर

(बुरहानपुर), बुधनी (सीहोर), गोहरगंज, बरेली (रायसेन), पचमढ़ी (होशंगाबाद), कुंडम (जबलपुर), नरसिंहपुर (नरसिंहपुर), नैनपुर, नारायणगंज (मंडला), तामिया (छिन्दवाड़ा), केवलारी, बरघाट, घन्सोर, छपारा (सिवनी), बालाघाट, वारासिवनी, कटंगी, लालबर्रा, खैरलांजी, बिरसा (बालाघाट) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(द) 53.2 मि. मी. से 244.9 मि. मी. तक.-तहसील पोरसा, मुरैना, जौरा, सबलगढ़, कैलार (मुरैना), विजयपुर (श्योपुर), अटेर, भिण्ड, गोहद, मेहगांव, लहार, रोन-मिहोना (भिण्ड), डबरा (ग्वालियर), शिवपुरी, पिछोर, नरवर, करैरा, पोहरी, बदरवास (शिवपुरी), निवाड़ी, पृथ्वीपुर, पलेरा, ओरछा (टीकमगढ़), लवकुशनगर, गौरीहार, नौगांव, छतरपुर, राजनगर, बिजावर, बड़ामलहरा (छतरपुर), अजयगढ़, पन्ना, गुन्नौर, पवई, शाहनगर (पन्ना), पटेरा, हटा (दमोह), रघुराजनगर, नागौद, उचेहरा, अमरपाटन, रामनगर, मैहर, विरसिंहपुर (सतना), जैसिंहनगर, गोहपारू, जैतपुर (शहडोल), जैतहरी, कोतमा (अनूपपुर), गोपदवनास, सिंहावल, कुसमी, चुरहट, रामपुरनैकिन (सीधी), शुजालपुर, कालापीपल (शाजापुर), खकनार (बुरहानपुर), सीहोर (सीहोर), बाड़ी, उदयपुरा (रायसेन), निवास, बिछिया, मंडला, घुघरी (मण्डला), लांजी, बैहर, परसवाड़ा (बालाघाट) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(ड.) 245.0 मि. मी. से 450.0 मि. मी. तक.- तहसील श्योपुर (श्योपुर), पुष्पराजगढ़ (अनूपपुर), पंधाना, हरसूद (खंडवा) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(इ) 450.1 मि. मी. से अधिकतम तक.- तहसील कराहल (श्योपुर), खंडवा (खंडवा), में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

2. **जुताई.**- जिला श्योपुर, ग्वालियर, दतिया, छतरपुर, पन्ना, सागर, दमोह, सतना, शहडोल, अनूपपुर, सीधी, सीहोर, रायसेन, होशंगाबाद, जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, मंडला, सिवनी व बालाघाट जुताई व धान रोपाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

3. **बोनी.**- जिला श्योपुर, ग्वालियर, दतिया, छतरपुर, पन्ना, सागर, दमोह, सतना, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, सीधी, आगर, इन्दौर, खरगौन, सीहोर, रायसेन, जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, मंडला, छिन्दवाड़ा व सिवनी में खरीफ फसलों की बोनी का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

4. **फसल स्थिति**- . .

5. **कटाई.**- . .

6. **सिंचाई.**- जिला ग्वालियर, दतिया, पन्ना, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, झाबुआ, सिवनी व बालाघाट में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

7. **पशुओं की स्थिति.**- राज्य के प्रायः सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है.

8. **चारा.**- राज्य के प्रायः सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

9. **बीज.**- राज्य के प्रायः सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

10. **खेतिहर श्रमिक.**- राज्य के प्रायः सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 20 जुलाई, 2016

जिला/तहसीलें	1. सप्ताह में हुई वर्षा :- (अ) वर्षा का माप (मि. मी. में) (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव :- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में:- (1) फसल का क्षेत्रफल- (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक) 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. जिला मुरैना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. अम्बाह	91.0		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पोरसा	90.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. मुरैना	91.0				
4. जौरा	101.0				
5. सबलगढ़	176.0				
6. कैलारस	90.0				
2. जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य चालू है	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. श्योपुर	248.0		4. (1) धान, ज्वार, बाजरा, तिल, तुअर, उड़द, मूंग, मक्का समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. कराहल	479.1		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. विजयपुर	217.8				
3. जिला भिण्ड :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. अटेर	203.0		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. भिण्ड	86.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. गोहद	138.0				
4. मेंहगांव	145.4				
5. लहार	72.5				
6. मिहोना 7. रौन	89.5				
4. जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. . .
1. ग्वालियर	36.6		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. डबरा	92.6		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. भितरवार	34.0				
4. घाटीगांव	36.0				
5. जिला दतिया :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सेवढ़ा	. .		4. (1) गन्ना.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. दतिया	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. भाण्डेर	. .				
6. जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. शिवपुरी	84.0		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पिछोर	79.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. खनियाधाना	21.0				
4. नरवर	58.0				
5. करैरा	94.5				
6. कोलारस	43.0				
7. पोहरी	109.0				
8. बदरवास	88.0				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7. जिला अशोकनगर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. मुँगावली	18.0		4. (1) सोयाबीन, मक्का अधिक. उड़द, गन्ना, गेहूँ, चना कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. ईसागढ़	18.0		(2) . .		
3. अशोकनगर	9.0				
4. चन्देरी	17.0				
5. शाढौरा	. .				
8. जिला गुना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गुना	26.8		4. (1) सोयाबीन, मक्का, उड़द समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. राघोगढ़	33.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. बमोरी	22.0				
4. आरोन	7.0				
5. चाचौड़ा	15.0				
6. कुम्भराज	23.0				
9. जिला टीकमगढ़ :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. . .	7. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	72.0		4. (1) धान, ज्वार, मूंग, उड़द, मूंगफली, तिल, अरहर-समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पृथ्वीपुर	73.2		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. जतारा	40.0				
4. टीकमगढ़	19.0				
5. बल्देवगढ़	41.0				
6. पलेरा	86.0				
7. ओरछा	75.0				
10. जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. . .	7. पर्याप्त.
1. लव-कुश नगर	131.0		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. गौरीहार	188.0		(2) . .		
3. नौगांव	63.8				
4. छतरपुर	145.6				
5. राजनगर	124.7				
6. बिजावर	148.0				
7. बड़ामलहरा	102.4				
8. बक्सवाहा	36.1				
11. जिला पन्ना :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. . .
1. अजयगढ़	187.4		4. (1) धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, तुअर, उड़द, मूंग, सोयाबीन, तिल. गेहूँ चना, जौ, राई-सरसों, अलसी, मसूर, मटर, वटरी आलू, प्याज.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. . .
2. पन्ना	74.4				
3. गुन्नौर	110.7				
4. पवई	80.0				
5. शाहनगर	73.8		(2) . .		
12. जिला सागर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बीना	4.2		4. (1) धान, ज्वार, मक्का, कोदों, उड़द, मूंग, अरहर, तिल, मूंगफली, सोयाबीन कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. खुरई	7.4				
3. बण्डा	14.0				
4. सागर	49.8		(2) . .		
5. रेहली	51.0				
6. देवरी	33.0				
7. गढ़ाकोटा	48.2				
8. राहतगढ़	15.0				
9. केसली	29.6				
10. मालथोन	50.0				
11. शाहगढ़	21.0				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
13. जिला दमोह :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हटा	111.3		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. बटियागढ़	22		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. दमोह	39.1				
4. पथरिया	48				
5. जवेरा	28				
6. तेन्दूखेड़ा	26				
7. पटेरा	104				
14. जिला सतना :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. . .	7. पर्याप्त.
1. रघुराजनगर	75.1		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. मझगवां	121.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. रामपुर-बघेलान	43.0				
4. नागौद	103.8				
5. उचेहरा	90.0				
6. अमरपाटन	72.0				
7. रामनगर	68.0				
8. मैहर	94.0				
9. बिरसिंहपुर	137.0				
15. *जिला रीवा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5.	7. . .
1. त्यौंथर	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. सिरमौर	. .		(2) . .		
3. मऊगंज	. .				
4. हनुमना	. .				
5. हजूर	. .				
6. गुढ़	. .				
7. रायपुरकर्चुलियान	. .				
16. जिला शहडोल:	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य चालू है	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोहागपुर	21.0		4. (1) मक्का, धान अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. ब्यौहारी	22.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. जैसिंहनगर	58.0				
4. गोहपारु	72.0				
5. जैतपुर	88.0				
6. बुढ़ार	37.1				
17. जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जैतहरी	81.6		4. (1) मक्का, धान, सोयाबीन, तुअर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. अनूपपुर	38.3		तिल, कोदों-कुटकी कम.	चारा पर्याप्त.	
3. कोतमा	210.6		(2) . .		
4. पुष्पराजगढ़	250.1				
18. जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2. बोनी व रोपाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बांधवगढ़	46.2		4. (1) मक्का, धान, तुअर, उड़द,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पाली	35.0		मूंग, तिल, ज्वार अधिक.	चारा पर्याप्त.	
3. मानपुर	27.0		(2) . .		
19. जिला सीधी :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. . .	7. पर्याप्त.
1. गोपदबनास	188.2		4. (1) धान, तुअर, तिल, उड़द,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिंहावल	161.0		मूंग, ज्वार, मक्का कम.	चारा पर्याप्त.	
3. मझौली	43.8		(2) . .		
4. कुसमी	108.0				
5. चुरहट	86.0				
6. रामपुरनैकिन	94.1				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
20. जिला सिंगरौली :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. चितरंगी	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. देवसर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. सिंगरौली	. .				
21. जिला मंदसौर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. सुवासराटप्पा	4.0		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. भानपुरा	31.4		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. मल्हारगढ़	25.0				
4. गरोठ	18.8				
5. मंदसौर	16.0				
6. श्यामगढ़	6.0				
7. सीतामऊ	12.6				
8. धुंधड़क्का	14.0				
9. संजीत	24.0				
10. कयामपुर	18.0				
22. जिला नीमच :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावद	. .		4. (1) उड़द, मक्का, तिल, तुअर, मूंगफली, मूंग अधिक. सोयाबीन, धान-कम. ज्वार समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. नीमच	. .				
3. मनासा	. .		(2) . .		
23. जिला रतलाम :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावरा	2.0		4. (1) सोयाबीन, मक्का, कपास समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. आलोट	1.8				
3. सैलाना	1.7		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. बाजना	4.7				
5. पिपलोदा	5.5				
6. रतलाम	20.8				
24. जिला उज्जैन :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. खाचरौद	13.0		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. महिदपुर	10.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. तराना	. .				
4. घटिया	. .				
5. उज्जैन	. .				
6. बड़नगर	4.0				
7. नागदा	3.0				
25. जिला आगर :	मिलीमीटर	2. खरीफ फसलों की बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. . .	7. . .
1. बड़ौद	. .		4. (1) सोयाबीन, मक्का, ज्वार समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सुसनेर	. .				
3. नलखेड़ा	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. आगर	. .				
26. जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. मोहम्मद बड़ोदिया	15.01		4. (1) सोयाबीन, धान, मक्का, ज्वार, तुअर, मूंग, ज्वार समान.	6. . .	8. पर्याप्त.
2. शाजापुर	12.2				
3. शुजालपुर	70.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. कालापीपल	59.0				
5. गुलाना	7.5				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
27. जिला देवास :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोनकच्छ	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. टोंकखुर्द	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. देवास	. .				
4. बागली	. .				
5. कन्नोद	. .				
6. खातेगांव	. .				
28. जिला झाबुआ :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. . .
1. थांदला	. .		4. (1) मक्का, सोयाबीन, उड़द,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. मेघनगर	. .		कपास, धान, मूंगफली, तुअर	चारा पर्याप्त.	
3. पेटलावद	2.8		अधिक.		
4. झाबुआ	. .		(2) . .		
5. राणापुर	. .				
29. जिला अलीराजपुर	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. जोबट	29.6		4. (1) मक्का, ज्वार, बाजरा, उड़द,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. अलीराजपुर	23.8		मूंगफली, सोयाबीन, कपास,	चारा पर्याप्त.	
3. कट्ठीवाड़ा	24		तुअर अधिक.		
4. सोंडवा	9		(2) . .		
5. उदयगढ़	12.8				
6.च. शेखर आ. नगर	9.7				
30. जिला धार :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. . .
1. बदनावर	7.0		4. (1) गन्ना अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सरदारपुर	24.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. धार	14.5				
4. कुक्षी	13.5				
5. मनावर	16.0				
6. धरमपुरी	12.0				
7. गंधवानी	31.0				
8. डही	8.0				
31. जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2. खरीफ फसलों की बोनी	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. देपालपुर	. .	का कार्य चालू है.	4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सांवेर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. इन्दौर	. .				
4. महू (डॉ. अम्बेडकरनगर)	. .				
32. जिला खरगौन :	मिलीमीटर	2. खरीफ फसलों की बोनी	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वाह	19.0	का कार्य चालू है.	4. (1) मक्का, बाजरा, अलसी,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. महेश्वर	30.6		राई-सरसों अधिक. ज्वार,	चारा पर्याप्त.	
3. सेगांव	12.0		धान, कपास, मूंगफली,		
4. खरगौन	16.0		तुवर, गेहूँ, चना कम.		
5. गोगावां	38.0		(2) . .		
6. कसरावद	25.0				
7. भगवानपुरा	5.1				
8. भीकनगांव	53.0				
9. झिरन्या	26.0				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
33. *जिला बड़वानी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5.	7. . .
1. बड़वानी	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. ठीकरी	. .		(2) . .		
3. राजकोट	. .				
4. सेंधवा	. .				
5. पानसेमल	. .				
6. पाटी	. .				
7. निवाली	. .				
34. जिला खण्डवा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खण्डवा	696.0		4. (1) सोयाबीन, कपास, धान,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पंधाना	266.0		मक्का, ज्वार, उड़द, मूंग.	चारा पर्याप्त.	
3. हरसूद	314.0		(2) . .		
35. जिला बुरहानपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	13.9		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खकनार	210.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. नेपानगर	42.0				
36. *जिला राजगढ़ :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. जीरापुर	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. खिलचीपुर	. .		(2) . .		
3. राजगढ़	. .				
4. ब्यावरा	. .				
5. सारंगपुर	. .				
6. पचोर	. .				
7. नरसिंहगढ़	. .				
37. जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. लटेरी	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरोंज	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. कुरवाई	. .				
4. बासोदा	. .				
5. नटेरन	. .				
6. विदिशा	. .				
7. गुलाबगंज	. .				
8. ग्यारसपुर	. .				
38. जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैरसिया	. .		4. (1) सोयाबीन, धान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. हुजूर	. .		(2) . .	. चारा पर्याप्त.	
39. जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2. बोनी व रोपाई का कार्य	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सीहोर	55.9	चालू है.	4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. श्यामपुर	9.0		(2) . .	. .	
3. आष्टा	22.0				
4. जावर	21.5				
5. इछावर	26.0				
6. नसरूल्लागंज	18.0				
7. रेहटी	13.8				
8. बुधनी	36.0				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
40. जिला रायसेन :	मिलीमीटर	2. बोनी व रोपाई का कार्य चालू है.4.	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. रायसेन	22.4		(1) . .	6. संतोषप्रद,	8. . .
2. गैरतगंज	15.4		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. बेगमगंज	20.0				
4. गोहरगंज	48.0				
5. बरेली	44.4				
6. सिलवानी	11.4				
7. बाड़ी	64.5				
8. उदयपुरा	58.0				
41. जिला बैतूल :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. भैंसदेही	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. घोड़ाडोंगरी	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. शाहपुर	. .				
4. चिचोली	. .				
5. बैतूल	. .				
6. मुलताई	. .				
7. आठनेर	. .				
8. आमला	. .				
42. जिला होशंगाबाद :	मिलीमीटर	2. धान की रोपाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी-मालवा	20.6		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. होशंगाबाद	32.1		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. बावई	10.0				
4. इटारसी	16.4				
5. सोहागपुर	22.0				
6. पिपरिया	29.2				
7. बनखेड़ी	23.7				
8. पचमढ़ी	46.0				
43. जिला हरदा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हरदा	11.4		4. (1) सोयाबीन कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खिड़किया	2.4		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. टिमरनी	8.8				
44. जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. सीहोरा	19.2		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पाटन	8.4		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. जबलपुर	15.4				
4. मझोली	22.8				
5. कुण्डम	44.9				
45. जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. कटनी	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. रीठी	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. विजयराघौगढ़	. .				
4. बहोरीबंद	. .				
5. ढीमरखेड़ा	. .				
6. बरही	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
46. जिला नरसिंहपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गाड़रवारा	33.0		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. करेली	32.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. नरसिंहपुर	52.0				
4. गोटेगांव	20.0				
5. तेंदूखेड़ा	18.0				
47. जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवास	64.2		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. बिछिया	117.2		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. नैनपुर	52.7				
4. मण्डला	61.6				
5. घुघरी	96.0				
6. नारायणगंज	51.5				
48. जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. डिण्डोरी	. .		4. (1) मक्का, धान, सोयाबीन,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. बजाग	. .		कोदों, कुटकी, तुअर, उड़द,	चारा पर्याप्त.	
3. शाहपुरा	. .		रामतिल समान.		
			(2) उपरोक्त फसलें समान.		
49. जिला छिंदवाड़ा :	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. छिंदवाड़ा	12.3		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. जुन्नारदेव	17.8		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. परासिया	33.4				
4. तामिया	41.0				
5. सोंसर	29.5				
6. पांदुर्षा	21.3				
7. अमरवाड़ा	25.6				
8. चौरई	23.4				
9. चाँद	16.1				
10. बिछुआ	31.3				
11. हर्रई	25.8				
12. उमरेठ	7.8				
13. मोहखेड़ा	13.2				
50. जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी	26.60		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. केवलारी	35.20		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. लखनादोन	34.90				
4. बरघाट	47.30				
5. उरई	11.0				
6. घंसोर	52.0				
7. घनोरा	28.70				
8. छपारा	50.30				
51. जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2. रोपाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बालाघाट	35.2		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. लाँजी	67.8		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. बैहर	115.0				
4. वारासिवनी	46.5				
5. कटंगी	36.2				
6. किरनापुर	46.0				
7. लालबर्रा	21.4				
8. खैरलांजी	49.2				
9. परसबाड़ा	120.2				
10. बिरसा	36.1				

टीप.-*जिला रीवा, बड़वानी, राजगढ़ से पत्रक अप्राप्त रहे हैं।

सुहेल अली,
आयुक्त,
भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.

(784)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2016